

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

पत्रांक: प. 3(7)शिक्षा-4/2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 02-09-2021

1. कुलपतिगण, उच्च शिक्षा विभाग से संबधित समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
2. प्रेसिडेन्ट, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
3. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

515
2/8/2021

विषय:- कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट के मध्यनजर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सत्र 2021-22 के लिए किसी प्रकार के शुल्क में अभिवृद्धि नहीं करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी एवं लोक डाउन के कारण समस्त प्रकार के राजकीय एवं निजी औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों के साथ साथ सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं निजी कार्यालय बन्द रहे हैं। इससे अभिभावकों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना है।

अतः कोविड-19 वैश्विक महामारी के मध्यनजर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में फीस वसूली के संदर्भ में पूर्ण सहानुभूति बरते एवं सत्र 2021-22 में किसी भी प्रकार के शुल्क में अभिवृद्धि नहीं की जावें।

भवदीय,

ॐ

(एन.एल. मीना)

शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मा0 कुलाधिपति एवं राज्यपाल, राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
5. कुलपतिगण समस्त संबधित विश्वविद्यालय।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमॉक:-एफ-7 (4) प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2020-21/पार्ट/214

दिनांक: 03-08-2021

पृष्ठांकित प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने के हेतु।

(डॉ0 सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।